FORM-1
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Surajpur

No: 388/Reader/2020 Date: 30.01.2020

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **1.462** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur**, C.G. (name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in Tamor Pingla Sanctuary falls within jurisdiction of Surajpur District i.e. Odgi Block.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire **1.462** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure. **(Not Applicable)**

(b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it; **(Not Applicable)**

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase- II (A Part of Digital India).

Collector,
Dist.-Surajpur (C.G.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 387 /वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 30 /01/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
स्टेट डाटा सेन्टर, सिविल लाईन
रायपुर, (छ.ग.)

विषय : भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना ''भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)'' के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला सूरजपुर के अन्तर्गत तमोर पिंगला अभ्यारण्य एलिफेन्ट रिजर्व क्षेत्रान्तर्गत ओड़गी ब्लाक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानान्तर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बावत प्रस्ताव में प्रभावित राजस्व वनभूमि रकबा 0.039 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र ''CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर'' के नाम से प्रदान करने विषयक।

संदर्भः– प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लि. रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/भानेप्रो–II/वनभूमि एफआरए–अनापत्ति/2019–20/33 रायपुर, दिनांक 04.01.2020.

--000--

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयान्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन रायपुर, छ.ग. द्वारा भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्रान्तर्गत ओड़गी ब्लाक अन्तर्गत भैयाथान अनुविभाग अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानान्तर वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है–

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)

क्र	तहसील	ग्राम	खसरा	प्रभावित रकबा (हे.)	मद	रिमार्क
1	ओड़गी	खोड़	1	0.010	छोटे झाड़ के जंगल	
2	ओड़गी	खोड़	7	0.004	छोटे झाड़ के जंगल	
3	ओड़गी	खोड़	9	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
4	ओड़गी	खोड़	11	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
5	ओड़गी	खोड़	714	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
6	ओड़गी	खोड़	716	0.006	छोटे झाड़ के जंगल	
7	ओड़गी	इंजानी	317	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
योग				**0.039**		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि

का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है, संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

(दीपक सोनी)
कलेक्टर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)